

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-डिण्डौरी(म.प्र.)

Email: deo.dindori@mpexcise.org * * * Phone (Office) 07644-234721

वर्ष 2017-18 के लिये जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई-टेण्डर द्वारा किये जाने के संबंध में।

विज्ञप्ति

डिण्डौरी, दिनांक 11 फरवरी, 2017

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 कैम्प भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2017 में उल्लेखित की गई प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र से निष्पादन के अभाव में डिण्डौरी जिले की 01 देशी एवं 04 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2017-18 के लिये अर्थात् 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर इच्छुक आवेदकों से ई-टेण्डर द्वारा प्रस्तुत ऑफर के आधार पर जिला कलेक्टर डिण्डौरी में निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

ई-टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए दिनांक 14 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2017 को सायं: काल 5.30 बजे तक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर टेण्डर प्राप्त किये जावेगे। ई-टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी/विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई-टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई-टेण्डर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेंगे।

ई-टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूहों के निष्पादन की तिथिया एवं कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

ई-टेण्डर हेतु ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 14 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से 22 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
ऑन लाईन ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक।
जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

वर्ष 2017-18 के लिए ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों का आरक्षित मूल्य, ई-टेण्डर प्रपत्र का मूल्य, ई-टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली (अर्नेस्टमनी) धरोहर राशि 50 का प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए आरक्षित मूल्य	ई-टेण्डर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी) का (50 प्रतिशत)	ई-टेण्डर प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	DND F- 2 शहपुरा समूह	1. वि.म.दु. शहपुरा 2. दे.म.दु. शहपुरा	19714510 42498990	492863 1062475	10000 10000
	योग:-	-	62213500	1555338	20000
2	DND F- 3 गाडासरई समूह	1. वि.म.दु. गाडासरई 2. वि.म.दु. करंजिया	37598300 8902480	939958 222562	10000 10000
	योग:-	-	46500780	1162520	20000
3	DND F- 4 समनापुर समूह	1. वि.म.दु. समनापुर	40880050	1022002	10000
	जिले का योग:-	-	149594330	3739860	-

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के किनारे स्थापित/संचालित, प्रभावित होने वाली मदिरा दुकानों को वर्ष 2017-18 के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के आउटर ऐज से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर आपत्ति रहित स्थल पर अवस्थित/स्थापित करना अनिवार्य होगा।

ई-टेण्डर प्रक्रिया द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित नियमों विक्रय-ज्ञापन निष्पादन की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों का स्थान, धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर) की जानकारी, जिला आबकारी कार्यालय जिला डिण्डौरी से (अवकाश के दिनों सहित) किसी भी दिन निर्धारित समय में प्राप्त की जा सकेगी।


कलेक्टर

जिला-डिण्डौरी
डिण्डौरी, दिनांक 11 फरवरी, 2017

पू.क्रमांक/आब./ढेका/2016-17/156
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचानालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला-डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, जिला(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला डिण्डौरी की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना कराये जाने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र (NIC) डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/मद्यभाण्डागार अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त..... जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर
जिला-डिण्डौरी

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

प्रारूप क्रमांक-नौ

वर्ष 2017-18 के लिये नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन के अभाव में अथवा नवीनीकरण/लॉटरी द्वारा निष्पादन के पश्चात ई-टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु विशेष मदिरा दुकानों/एकल समूहों का सेल पेपर

क्र	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकान का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	ई-टेण्डर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम 7 का 50 प्रतिशत)	मदिरा दुकान का स्थान (Location) (राजमोगी नगर निगम अथवा अन्य नगर पालिका अथवा पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र)	वर्ष 2016-17 की प्रारंभिक 9 माह की खपत		
									देशी मदिरा (प्र. लि.)	विदेशी मदिरा (स्त्रिस्ट प्रू लि.)	विदेशी मदिरा बीयर (ब. लि.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DND F-2	वि.म.डु. शहपुरा	विदेशी	ऑफ	19714510	985726	492863	नगर पंचायत	0.00	24219.00	37541.40
2	शहपुरा समूह	दे.म.डु. शहपुरा	देशी	ऑन	42498990	2124950	1062475	नगर पंचायत	55883.25	0.00	0.00
		समूह का योग:-	-	-	62213500	3110676	1555338		55883.25	24219.00	37541.40
3	DND F-3	वि.म.डु. गाड़ासरई	विदेशी	ऑफ	37598300	1879915	939958	ग्रामीण क्षेत्र	0.00	18765.00	16639.20
4	गाड़ासरई समूह	वि.म.डु. करंजिया	विदेशी	ऑफ	8902480	445124	222562	ग्रामीण क्षेत्र	0.00	11245.50	12423.60
		समूह का योग:-	-	-	46500780	2325039	1162520	-	0.00	30010.50	29062.80
5	DND F-4	वि.म.डु. समनापुर	विदेशी	ऑफ	40880050	2044003	1022002	ग्रामीण क्षेत्र	0.00	27243.00	20506.20
		महायोग:-	-	-	149594330	7479718	3739860	-	55883.25	81472.50	87110.40


(एम. आर. उडके)

प्र. जिला आबकारी अधिकारी
जिला-डिण्डौरी